31/05/24 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व प्रार्थी पैरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा गया। आदेश प्रति TDR बाली व पटवारी हल्का पादरला को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र सं. 40/2021 GCMS NO: 2021/82
तारीख दर्जः–07.04.2021
निर्णय दिनांकः–

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीः–
1. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली जिला पाली।		1. करमा पुत्र लाला 2. करमा पुत्र लालाराम 3. पकाराम पुत्र नगाराम 4. बाबा पुत्र दुदा 5. मीरा पुत्री लालाराम 6. ऐजी पुत्री लालाराम जाति मेघवंशी निवासी पादरला तहसील बाली

राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र बाबत् बेदखली अंतर्गत धारा 177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः– 1. तहसीलदार, बाली

–:: निर्णय ::– दिनांक :

प्रार्थी राज्य सरकार की ओर तहसीलदार बाली लैण्ड होल्डर ने प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि खसरा नंबर 315 रकबा 0.3700 हैक्टेयर सरहद मौजा ग्राम पादरला तहसील बाली में स्थित है। उक्त अराजी का प्रार्थी भूमि लैण्ड होल्डर है। अप्रार्थी वादग्रस्त अराजी के खातेदार काश्तकार है। यह है कि अप्रार्थी करमा पुत्र लाला वगैरा(सं. 1 से 6) जाति मेघवंशी निवासी पादरला, बाली ने जमीन वर्णित पैरा 01 वाद पत्र को कृषि के रूप में काम न लेकर उक्त जमीन को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाएं किस्म परिवर्तित कर भूमि का उपयोग वर्तमान में आवासीय प्रयोजनार्थ मौके पर किया जाकर वर्णित कृषि भूमि का दुरूपयोग किया जा रहा है, जिसका अप्रार्थीगण को हक नहीं है। अप्रार्थी ने कानून के प्रावधानों व टीनेन्सी की शर्तों को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है। अप्रार्थीगण द्वारा टीनेन्सी की शर्तों को भंग करने एवं राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य करने के कारण अब अप्रार्थी को भूमि वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है। दावा हाजा के लिए मुखासमत दिनांक 05.11.2011 को पैदा हुआ जब पटवारी हल्का ने तहसीलदार बाली के आदेशानुसार ग्राम पादरला का भ्रमण कर सर्वे किया तब अप्रार्थीगण द्वारा भूमि वर्णित पैरा 01 वादपत्र से अवैध रूप से गैर कृषि कार्यों के रूप में उपयोग करते पाए गए। वादपत्र को सुनने का हक अदालत हाजा को धारा 177, 92क आर.टी. एक्ट 1955 के तहत है। वाद प्रार्थी मय शपथ–पत्र व डुप्लीकेट प्रति के पेश कर निवेदन किया है कि वाद बहक वादी विरूध अप्रार्थीगण डिक्री फरमाया जाकर वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाए तथा अप्रार्थी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये कि बे जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र को खुर्द–बुर्द नहीं करे। अन्य सिद्धि जो मुफिद वादी हो एवं 289 आर.टी. एक्ट के तहत् दिलवाई जावे।

इस पर प्रार्थना–पत्र दर्ज कर रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। जवाब प्रार्थना–पत्र अप्रार्थीगण ने दिनांक 20.04.2022 को पेश किया। प्रार्थना पत्र के संबंध में हल्का पटवारी ने दिनांक 28.05.2024 को पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई। प्रार्थी सरकारी पैरोकार तहसीलदार बाली की सुनी गई।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी बाली

पेज लगातार....................02

राजस्व प्रकरण सं. 40/2021 GCMS NO: 2021/82
अनवान राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली बनाम करमा वगै.
अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली मय दस्तावेज, जवाब कार्यवाही मय फहरिश्त दस्तावेज का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं हल्का पटवारी की नवीन मौका रिपोर्ट दिनांक 28.05.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खातेदार अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त खातेदारी आराजी खसरा संख्या 315 रकबा 0.3700 हैक्टर किस्म चाही प्रथम मौजा पादरला पटवार हल्का पादरला है, जो एक कृषि योग्य भूमि है। उक्त खसरे का संपूर्ण रकबा 0.3700 हैक्टेयर मौका रिपोर्ट दिनांक 28.05.2024 के संलग्न नक्शा पर आवासीय गतिविधियां संचालित हो रही है। जो बिना विधिक प्रक्रिया का अनुपालन किए एवं बिना सक्षम प्राधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त किए मौके पर प्लॉटिंग आदि करके आवासीय प्रयोजनार्थ काम में लिया जा रहा है। पटवारी हल्का की मौका फर्द एवं तहसीलदार बाली की रिपोर्ट एवं अप्रार्थीगण के जवाब से इस तथ्य की भली– भांति पुष्टि होती है। हल्का पटवारी पादरला की नवीन मौका रिपोर्ट दिनांक 28.05.2024 के अनुसार खसरा नंबर 315 रकबा 0.3700 हैक्टर पर मकान बने हुए होने के तथ्य की पुष्टि होती है। अतः खातेदार द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ के रूप में अनुप्रयोग करना अहितकर कार्य की श्रेणी में आता है तथा यह खातेदार की खातेदारी अधिकारों को विलोपित करते हुए वादग्रस्त आराजी से बेदखल करते हुए वादग्रस्त आराजी सिवायचक खाता राजस्थान सरकार दर्ज करना विधि सम्मत् रहेगा।

–:: आदेश ::–

अतः निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली–भाँति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी ग्राम पादरला पटवारी हल्का पादरला तहसील बाली; खसरा नंबर 315 कुल रकबा 0.3700 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम के सम्पूर्ण भूमि रकबा से अप्रार्थीगण खातेदार करमा पुत्र लाला, पकाराम पुत्र नगाराम, करमा पुत्र लालाराम, बाबा पुत्र दुदा, मीरा पुत्री लालाराम, ऐजी पुत्री लालाराम जाति मेघवंशी तहसील बाली जिला पाली (राज.) के खातेदारी अधिकार विलोपित करते हुए वादग्रस्त आराजी को सिवायचक खाते राजस्थान सरकार दर्ज करने के आदेश किए जाते हैं। अप्रार्थीगण (1 से 6) को वादग्रस्त आराजी से बेदखल किया जावे। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 28.05.2024 के संलग्न नजरी नक्शा आदेश अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावाली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31/5/024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी * बाली, जिला - पाली (राज.) *

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी,बाली

मौका फर्द

आज दिनांक 28-05-2024 को ग्राम पादरला के ख.नं. 315 का मौका देखा गया। ग्राम पादरला के राजस्व रेकर्ड अनुसार खाता सं. 39 ख.नं. 309, 310/1 व 315 कुल खसरा 3 कुल रकबा 0.77 हे. ऐजी पुत्री लालाराम, करमा पुत्र लाला, करमाराम पुत्र लालाराम, पकाराम पुत्र नगाराम, बालाराम पुत्र दुदा, मीरा पुत्री लालाराम जाति मेगवंशी खातेदार दर्ज है। राजस्व रेकर्ड अनुसार ख.नं. 315 रकबा 0.37 हे. किस्म चा.पू. भूमि खातेदारी कृषि भूमि है। उक्त ख.नं. भूमि सेवाड़ी से पादरला आने वाली सड़क (ख.नं. 313) के दायीं तरफ स्थित है। मौके पर उक्त खसरा में बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से रहवासी मकान बनाकर कृषि भूमि का अकृषि उपयोग किया जा रहा है जिसका नजरी नक्शा निम्न प्रकार है –

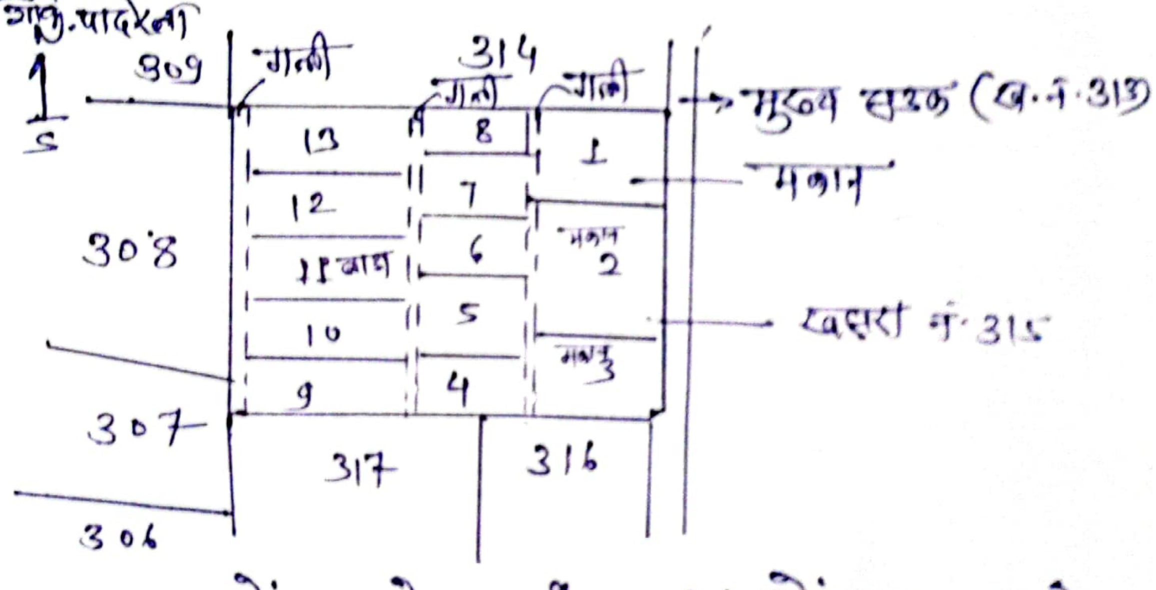

उक्त ख.नं. में पुरे रकबे 0.37 में मकान बने हुए जिसमे तीन गली भी छोड़ी हुई है।

मौके पर मौका फर्द तैयार कर उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाये गये।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

Ex-Court
3/06/2024
सहायक कलक्टर [illegible]
उपखण्ड अधिकारी, बाली

दिनेश मेघवाल
पटवारी (भू.अ.)
पटवार मण्डल पादरला
तहसील-बाली, जिला-पाली (राज.)